Airo International Research Journal
Volume XVIII, ISSN: 2320-3714
Impact Factor 0.75 to 3.19
February, 2019

बाल विकास में किशोरियो सशक्तिकरण के लिए सबला योजना

शोधार्थी स्नातकोत्तर
मेनका कुमारी
गृह विज्ञान विभाग,
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

'सबला' :- 4-48 वर्ष की किशोरियों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने और उन्हें जीव कौशल स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा के माध्यम से उनका सशक्तीकरण करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने नवम्बर 2040 में किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी किशोरी बालिका योजना आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी से अवगत करना , और विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लाना है।

योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यालय न जाने वाली लड़कियाँ है। उन्हें पोषण और गैर-पोषण घटकों के साथ समेकित सेवाएं प्रदान की जाती है। पोषण घटक का लक्ष्य 44-44 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली किशोरियों और 44-48 वर्ष की सभी लड़कियाँ है।

यह योजना बिहार के 42 जिलों यथा - पटना , बक्सर, गया, औरंगाबाद, वैशाली, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, सहरसा, बांका, मुंगेर, कटिहार एवं किशनगंज में लागू की जा चुकी है। शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना का कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन भी समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्रों के माध्यम से ही किया जा रहा है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. आत्म विकास और सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षमबनाना।
2. उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
3. स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (8२5स) और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।
4. इनके घरेलू व जीवन कौशलों का उन्नबयन करना एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना।
5. पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।

6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना / मार्गदर्शन प्रदान करना।

<u>सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को दी जानेवाली सेवाएँ -</u>

1. पोषण प्रावधान (प्रत्येक माह सभी लाभार्थियों को 3 किलोग्राम चावल एवं 4.5 किलोग्राम दाल संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्रों से दी जाने का प्रावधान है)।
2. आयरन फौलिक एसिड अनुपूरण।
3. स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ।
4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
5. परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्धतियों एवं गृह प्रबंधन पर परामर्श मार्गदर्शन |
6. जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच।
7. राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की लड़कियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण।

<u>संदर्भ सूची :-</u>

1. समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय , समाज कल्याण विभाग , बिहार, तथा समाज कल्याण मंत्रालय व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के बेबसाईट से उद्धृत
2. आँगनबाड़ी सेविका के लिए संदर्भ पुस्तिका , बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएँ, पटना
3. www.icdsbih.nic.in से उद्धृत.
4. सचदेवा, डी० आर०, भारत में समाज कल्याण प्रशासन , किताब महल पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, अष्ठम संस्करण, 2009, पृ० 283-316.
5. उपरोक्त, पृ० 283-316.
6. वार्षिक रिपोर्ट 2009-2040, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीस
7. muzaffarpur.bih.nic.in
8. muzaffarpur.bih.nic.in